सेन्ट्रल जोन इंश्योरेन्स एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से सम्बद्ध)

प्रभांजलि, 33, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

क्षेत्रीय कामकाजी महिला समन्वय समिति

परिपत्र/विशेष **दिनांक : 25.02.2014**

मध्य क्षेत्र के समस्त बीमा कर्मियों के नाम

प्रिय साथियों,

विषय : 8 मार्च - अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन और बधाईयां। 8 मार्च 1857 को अमेरिका के न्यूयार्क में कपड़ा मिल में काम करने वाली महिलाओं ने काम करने के समय को 10 घण्टे करने, महिलाओं को समान अधिकार देने और काम की स्थितियों में सुधार करने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की, जुलूस निकाला और धरना दिया। यह, वह समय था जब जागरूकता आज की तुलना में कुछ भी नहीं थी, महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं थे, निरन्तर विषम परिस्थियों का सामना करने के कारण उन्होंने ये फैसला किया था। इन प्रथम संघर्षकारी कामकाजी महिलाओं को, उनके संघर्ष को सलाम। इस आन्दोलन को तीव्र दमन का सामना पड़ा, संघर्ष करने वालों को प्रताड़ित किया गया किन्तु संघर्ष की लौ तो जल चुकी थी, छोटे-छोटे रूप में यह जारी रही और फिर 8 मार्च 1908 में यह पुन: भड़की जब न्यूयार्क में ही सुई उद्योग में काम करने वाली महिलाओं ने काम करने के समय के कम करने के साथ वोट के अधिकार की मांग को लेकर संघर्ष के मैदान में प्रवेश किया। इन संघर्षों में शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और कुछ लाभ भी हासिल किये गये। 1910 में समाजवादी महिलाओं के दूसरे सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय महिला ब्यूरो की पहली सचिव क्लारा जेटकिन ने प्रस्ताव रखा कि 8 मार्च को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में मनाया जाये। यह दिन उन महिलाओं के संघर्ष को याद करने और महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकार के लिए संघर्ष में योगदान देने के संकल्प लेने का दिन है।

150 वर्षों से अधिक लम्बे संघर्षों ने महिलाओं को जागरूक किया है, उनमें आत्मविश्वास का संचार किया है, राजनीतिक जागरूकता को बदला है, किन्तु यह भी सत्य है कि शोषणकारी ताकतों ने महिलाओं को कठिन संघर्षों से प्राप्त अधिकारों और आजादी पर आक्रमण भी तेज किये हैं। महिलायें बड़ी संख्या में श्रम शक्ति के रूप में घर से बाहर आ रही हैं, जहां सरकार और उद्योग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आशा, आंगनबाड़ी, मितानिन के नाम पर उनकी सेवाएं तो लेती है किन्तु उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं बनाती ताकि सरकारी कर्मियों को मिलने वाले वेतन व अन्य सुविधायें न देना पड़े, एक छोटी सी राशि 'मानदेय' के नाम पर देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती है। महिला श्रमिक को श्रम कानूनों के उल्लंघन का शिकार बनाया जाता है। वहीं विभाजनकारी ताकतें उन्हें वर्ग, जाति, लिंग सहित अनेक तरीकों से उनकी मेहनतकशों के साथ एकता को तोड़ने की कोशिशें लगी हुई हैं।

मीडिया और मनोरंजन उद्योग महिलाओं को मात्र उपभोक्ता और उपभोग की वस्तु बता कर उनकी आधुनिकता, आकांक्षाओं को अलग ही तरीके से परिभाषित करने में लगा है। सरकार ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाकर सब कुछ तय करने का अधिकार मानों बाजार पर ही छोड़ दिया है, उसी बाजार ने ''कामकाजी महिलाओं के संघर्षों'' के यादगार दिन अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भी लपक लिया है और वो हमें बताने में लगा है कि इस दिन को कैसे, किस उपहार, किस फूल और किस स्थान पर जाकर मनाया जाये। बाजार का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना ही है। हर छोटी-बड़ी हस्ती चाहे वो पुलिस, राजनीतिज्ञ, संत, अधिकारी, न्यायधीश हो या पंचायतें, महिलाओं को नैतिकता सिखाते नजर आते है, इनमें से कोई भी अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार से लड़ने की बात नहीं कहते। लड़कियों की शिक्षा,

रोजगार, सम्पत्ति में भागीदारी और जीवन साथी चुनने जैसे निर्णयों के कारण सम्मान के नाम पर उनकी हत्या (honour killing) का खतरा इन दिनों सभी राज्यों और जातियों में बढ़ गया है।

एक अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन दर्शाता है कि महिला स्वास्थ्य और जीवन के मामले में हमारा देश 135 देशों की सूची में 134वें स्थान पर है। प्रसव के दौरान मातृ-मृत्यु दर यहां सबसे अधिक है। 56 प्रतिशत महिलायें खून की कमी से पीड़ित हैं। हमारा देश सेरोगेट माताओं के केन्द्र के रूप में जाना जाने लगा है।

एक बेहतर देश और समाज के लिए जरूरी है उसके सभी नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस करें। महिलायें तो आधी आबादी हैं यदि वो असुरक्षित महसूस करती है तो बेहतरी कैसी? इसके लिए राजनीतिक, सामाजिक और न्यायलयीन इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के अपराधियों को तुरंत और कड़ी सजा का प्रावधान हो, इससे अपराधों में कमी होने की संभावना बनती है। लड़कियों की उचित शिक्षा की व्यवस्था हो, उनके साथ भेदभाव न हो, उनके काम को मान्यता मिले, काम का उचित दाम मिले, आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, काम के स्थान पर सुविधा और सुरक्षा मिले, तभी उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो समाज में अपना बेहतर योगदान दे सकती है किन्तु इन विषयों पर चर्चा अधिक होती है, काम कम होता है। एक उदाहरण तो विधायिका में महिलाओं के आरक्षण का विषय से है - 18 वर्षों में भी यह पारित नहीं किया जा सका है।

CZIEA, AIIEA के निर्देशों के अनुसार निरन्तर अपने सदस्यों को शिक्षित और जागरूक करने में लगा है। महिलाओं के लिए संगठन में आरक्षण की व्यवस्था भी CZIEA ने किया है। प्रत्येक मंडल में महिला समिति का गठन किया गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस व अन्य अवसरों पर सभा का आयोजन करती है और समाज के उस वर्ग को जहां जरूरत है, मदद करती है। इस तरह समाज में अपनी बात रखती है, अपना स्थान बनाती है। इसी तरह निरन्तर प्रयास करके ही हम अंधविश्वास, गलत परम्पराओं और रूढ़ियों को समाप्त कर सकेंगे, इसके लिए अन्य जनवादी ताकतों के साथ मिलकर भी काम करना होगा क्योंकि सभी वर्ग की महिलाओं के जागरूक हुए बिना बेहतर समाज की कल्पना बेमानी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा भी था कि किसी देश की प्रगति को जानना हो तो उस देश में महिलाओं की क्या स्थिति है, इससे जाना जा सकता है।

हम बीमा कर्मचारियों ने AIIEA के नेतृत्व में सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए निजीकरण के खिलाफ लगातार संघर्ष करते हुए और जनता को भी इसके खिलाफ जागरूक करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम को सार्वजनिक उद्योग के रूप में अब तक बनाये रखा है। बीमा कानून संशोधन बिल 2008 जो अब भी संसद में लंबित है, इसके खिलाफ संघर्ष अब भी जारी है। हमारे संघर्षों की बदौलत ही हम अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करवा सके हैं। Regular, Part Time कर्मचारियों को Up-grade करवा सके हैं। बीमा उद्योग की निरन्तरता के लिए, पुनः भर्ती के लिए, AIIEA को मान्यता देने के लिए और वे 10 मुद्दे जिनको लेकर 20-21 फरवरी 2013 को हड़ताल की गई थी, के लिए तीव्र संघर्ष की आवश्यकता है। इन संघर्षों में अपनी भागीदारी दर्ज करते हुए इनके लिए जन-जागरूकता बढ़ाना है। आपसे आग्रह है कि 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारी सभी मंडलीय इकाईयों और उनकी शाखा इकाईयों में सभा, सेमीनार, और गोष्ठियों का आयोजन करें और जनवादी संगठनों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी भागीदारी दें।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ,

आपकी साथी

(उषा परगनिहा)

संयोजिका

मुद्रक : एक्सल ऑफसेट प्रिन्टर्स, फूल चौक, रायपुर (छ.ग.)